संख्या-143/2019/1293/41-2019-94 (बजट) /2018

प्रेषक,

ए0पी0 सिंह
संयुक्त सचिव
उत्तर प्रदेश शासन।

सेवा में,

महानिदेशक
पर्यटन, उ0प्र0,
लखनऊ।

पर्यटन अनुभाग **लखनऊ, दिनांक 10 अप्रैल, 2019**

विषय-वित्तीय वर्ष 2019-20 के लिए अनुदान सं0 44 में प्राप्त बजट संकलन के अनुसार राजस्व मद के लिए विभिन्न लेखाशीर्षो/उपशीर्षों में प्रावधानित धनराशि को व्यय हेतु निर्वतन पर रखे जाने के संबंध में।

महोदय,

कृपया उपर्युक्त विषयक अपने पत्र 151/3-लेखा/बजट आवंटन/2019-20, दिनांक 08 अप्रैल 2019 का सन्दर्भ ग्रहण करने का कष्ट करें।

2- इस संबंध में मुझे यह कहने का निदेश हुआ है कि वित्तीय वर्ष 2019-20 के लिए अनुदान संख्या-44 में प्राप्त बजट संकलन के अनुसार राजस्व मद के लिए विभिन्न लेखाशीर्षो/उपशीर्षों में प्रावधानित धनराशि को निम्न तालिका के स्तम्भ-1 में उल्लिखित लेखाशीर्ष/मद में उनके सम्मुख स्तम्भ-2 में प्रावधानित धनराशि के सापेक्ष स्तम्भ-3 में अंकित धनराशि को व्यय किये जाने हेतु आपके निवर्तन पर रखे जाने की श्री राज्यपाल निम्नलिखित शर्तो/प्रतिबन्धों के अन्तर्गत सहर्ष स्वीकृति प्रदान करते हैं -

(रूपये लाख में)

लेखाशीर्ष/मानक मद	**वित्तीय वर्ष 2019-20 में प्रावधानित आय-व्ययक**	**वित्तीय वर्ष 2019-20 के लिए निवर्तन पर रखी जाने वाली धनराशि**
1	**2**	**3**
राजस्व लेखा-3452-पर्यटन-80-सामान्य-001-निदेशन तथा प्रशासन-03-अधिष्ठान-पर्यटन निदेशालय		
01-वेतन	477.40	477.40
02-मजदूरी	5.00	5.00
03-महंगाई भत्ता	71.61	71.61
04-यात्रा व्यय	5.00	5.00
05-स्थानान्तरण यात्रा व्यय	2.00	2.00
06-अन्य भत्ते	0.70	0.70
07-मानदेय	0.50	0.50

1- यह शासनादेश इलेक्ट्रानिकली जारी किया गया है, अत: इस पर हस्ताक्षर की आवश्यकता नहीं है ।
2- इस शासनादेश की प्रमाणिकता वेब साइट http://shasanadesh.up.nic.in से सत्यापित की जा सकती है ।

लेखाशीर्ष/मानक मद	वित्तीय वर्ष 2019-20 में प्रावधानित आय-व्ययक	वित्तीय वर्ष 2019-20 के लिए निवर्तन पर रखी जाने वाली धनराशि
1	2	3
08-कार्यालय व्यय	4.00	4.00
09-विद्युत देय	150.00	150.00
10-जलकर/जल प्रभार	6.00	6.00
11-लेखन सामग्री और फार्मो की छपाई	3.30	3.30
12-कार्यालय फर्नीचर एवं उपकरण	1.00	1.00
13-टेलीफोन पर व्यय	2.50	2.50
14-मोटर गाड़ियों का क्रय	0.00	0.00
15-गाडियो का अनुरक्षण और पेट्रोल आदि की खरीद	7.00	7.00
16-व्यावसायिक तथा विशेष सेवाओं के लिए भुगतान	5.00	5.00
17-किराया, उपशुल्क और कर-स्वामित्व	20.00	20.00
26-मशीने और सज्जा/उपकरण और संयंत्र	2.00	2.00
29-अनुरक्षण	15.00	15.00
44-प्रशिक्षण हेतु यात्रा एवं अन्य प्रासंगिक व्यय	3.00	3.00
45-अवकाश यात्रा व्यय	2.25	2.25
46- कम्प्यूटर हार्डवेयर/साफ्टवेयर का क्रय	5.00	5.00
47-कम्प्यूटर अनुरक्षण/तत्सबंधी स्टेशनरी का क्रय	3.75	3.75
49-चिकित्सा व्यय	7.80	7.80
51-वर्दी व्यय	1.00	1.00
52-पुनरीक्षित वेतन का अवशेष (राजकीय)	30.45	30.45
55-मकान किराया भत्ता	55.00	55.00
56-नगर प्रतिकर भत्ता	7.00	7.00
58-आउट सोर्सिंग सेवाओं हेतु भुगतान	5.00	5.00
योग 03/001	**898.26**	**898.26**
3452-पर्यटन-80-सामान्य-104-संवर्धन तथा प्रचार-03-अधिष्ठान		
01-वेतन	954.81	954.81
02-मजदूरी	3.00	3.00
03-महंगाई भत्ता	143.22	143.22
04-यात्रा व्यय	6.50	6.50
05-स्थानान्तरण यात्रा व्यय	3.00	3.00
06-अन्य भत्ते	5.40	5.40
07-मानदेय	0.50	0.50
08-कार्यालय व्यय	6.50	6.50
09-विद्युत देय	20.85	20.85
10-जलकर/जल प्रभार	1.00	1.00
11-लेखन सामग्री और फार्मो की छपाई	4.00	4.00
12-कार्यालय फर्नीचर एवं उपकरण	2.50	2.50
13-टेलीफोन पर व्यय	4.25	4.25

http://shasanadesh.up.nic.in

लेखाशीर्ष/मानक मद	वित्तीय वर्ष 2019-20 में प्रावधानित आय-व्ययक	वित्तीय वर्ष 2019-20 के लिए निवर्तन पर रखी जाने वाली धनराशि
1	2	3
15-गाडियो का अनुरक्षण और पेट्रोल आदि की खरीद	6.50	6.50
16-व्यावसायिक तथा विशेष सेवाओं के लिए भुगतान	2.00	2.00
17-किराया, उपशुल्क और कर-स्वामित्व	30.00	30.00
26-मशीने और सज्जा/उपकरण और संयंत्र	2.00	2.00
29-अनुरक्षण	2.60	2.60
44-प्रशिक्षण हेतु यात्रा एवं अन्य प्रासंगिक व्यय	2.25	2.25
45-अवकाश यात्रा व्यय	3.00	3.00
46- कम्प्यूटर हार्डवेयर/साफ्टवेयर का क्रय	2.50	2.50
47-कम्प्यूटर अनुरक्षण/तत्सबंधी स्टेशनरी का क्रय	4.50	4.50
49-चिकित्सा व्यय	7.20	7.20
51-वर्दी व्यय	1.00	1.00
52-पुनरीक्षित वेतन का अवशेष (राजकीय)	64.00	64.00
55-मकान किराया भत्ता	94.00	94.00
56-नगर प्रतिकर भत्ता	10.50	10.50
58-आउट सोर्सिंग सेवाओं हेतु भुगतान	1.00	1.00
योग 03/104	**1388.58**	**1388.58**
3452-पर्यटन-80-सामान्य-104-संवर्धन तथा प्रचार-04-अलीगढ़ फूड काफ्ट इंस्टीट्यूट की स्थापना		
31-सहायता अनुदान-सामान्य (वेतन)	172.12	86.06
53-पुनरीक्षित वेतन का अवशेष (राज्य सहायता)	7.91	3.96
योग	**180.03**	**90.02**
3452-पर्यटन-80-सामान्य-104-संवर्धन तथा प्रचार-08-पर्यटन पुलिस बल का गठन		
16-व्यावसायिक तथा विशेष सेवाओं के लिए भुगतान	250.00	250.00
42-अन्य व्यय	10.00	10.00
योग 08/104	**260.00**	**260.00**
3452-पर्यटन-80-सामान्य-800-अन्य व्यय-13-उत्तर प्रदेश ब्रज तीर्थ परिषद, मथुरा		
20-सहायक अनुदान-सामान्य (गैर वेतन)	150.00	75.00
31- सहायक अनुदान-सामान्य (वेतन)	180.00	90.00
योग-13/800	**330.00**	**165.00**

(1) निवर्तन पर रखी जा रही धनराशि का व्यय वित्त (आय-व्ययक) अनुभाग-1 के कार्यालय-ज्ञाप सं0 1/2019/बी-1-170/दस-2019-231/2019, दिनांक 22 मार्च, 2019 में निहित शर्तों एवं प्राविधानों के अन्तर्गत ही सुनिश्चित किया जायेगा तथा निवर्तन पर रखी जी रही धनराशि जिस कार्य/मद हेतु प्रदान की जा रही है उसका उपयोग नियमानुसार उसी कार्यमद हेतु किया जायेगा, अर्थात स्वीकृत धनराशि का व्यय किसी अन्य मद/प्रयोजन हेतु नहीं किया जायेगा। विभिन्न मदों में स्वीकृत धनराशि का व्यावर्तन तथा पुनर्विनियोजन शासन की पूर्व अनुमति से ही किया जायेगा।

http://shasanadesh.up.nic.in

1- यह शासनादेश इलेक्ट्रानिकली जारी किया गया है, अत: इस पर हस्ताक्षर की आवश्यकता नहीं है ।

2- इस शासनादेश की प्रमाणिकता वेब साइट http://shasanadesh.up.nic.in से सत्यापित की जा सकती है ।

(2) प्रस्तर-2 में निवर्तन पर रखी जा रही धनराशि का आवंटन मात्र किसी प्रकार के व्यय करने का प्राधिकार नही देता है। अत: जिन मामलों में उ0प्र0 बजट मैनुअल और वित्तीय नियम संग्रह तथा स्थायी आदेशों के अन्तर्गत राज्य सरकार/केन्द्र सरकार अथवा अन्य सक्षम प्राधिकारी की स्वीकृति प्राप्त की जानी आवश्यक हो, उन मामलों में धनराशि व्यय करने के पूर्व अनिवार्य रूप से मदवार व्यय विवरण शासन को उपलब्ध कराते हुए सक्षम स्तर का अनुमोदन प्राप्त करने के पश्चात ही व्यय सुनिश्चित किया जाय।

(3) निवर्तन पर रखी जा रही धनराशि में से नियमानुसार व्यय किये जाने हेतु आवश्यक धनराशि को कोषागार से आहरित कर आहरण के बाउचर संख्या एवं तिथि की सूचना शासन एवं महालेखाकार, इलाहाबाद को अनिवार्य रूप से उपलब्ध कराया जाना सुनिश्चित किया जायेगा। निवर्तन पर रखी जा रही धनराशि के समक्ष किये गये व्यय पर नियन्त्रण के सम्बन्ध में शासनादेश सं0 बी-1-1195।/दस-16/94, दिनांक 06 जून, 1994 द्वारा निर्गत निर्देशों का कडाई के साथ अनुपालन सुनिश्चित किया जाय।

(4) व्यय प्रबन्धन एवं शासकीय व्यय में मितव्ययिता के सम्बन्ध में वित्त विभाग द्वारा समय-समय पर जारी आदेशों का विशेष रूप से अनुपालन सुनिश्चित किया जाय। इसके साथ-साथ राजकीय धन व्यय करने में उ0प्र0 बजट मैनुअल के प्रस्तर-12 में दी गयी शर्तों की पूर्ति तथा वित्तीय औचित्य के मानकों (स्टैण्डर्डस आफ फाइनेन्शियल प्रोप्राइटी) का अनुपालन भी सुनिश्चित किया जाय।

(5) निवर्तन पर रखी जा रही धनराशि के सापेक्ष एकमुश्त आहरण न किया जाय। विभाग के कार्य की प्रकृति एवं आवश्यकता के अनुसार सम्भावित व्यय की फेजिंग की जाय तथा यथासम्भव व्यय की फेजिंग वित्तीय वर्ष की अवधि के लिए समान रूप से ही की जाय।

(6) अलीगढ़ फूड क्राफ्ट इन्स्टीट्यूट की स्थापना हेतु 31-सहायता अनुदान-सामान्य (वेतन) तथा ब्रज तीर्थ विकास परिषद मथुरा हेतु 20-सहायता अनुदान-सामान्य (गैर वेतन) की मदों में निवर्तन पर रखी जा रही धनराशि सम्बन्धित संस्था को अवमुक्त किये जाने के पूर्व विगत वर्ष में अवमुक्त/उपलब्ध करायी गयी धनराशि का उपभोग प्रमाण-पत्र सक्षमस्तर से प्राप्त कर लिया जायेगा तथा यदि संस्था के पास विगत वर्षों की कोई अप्रयुक्त धनराशि अवशेष हो तो उसका समायोजन निवर्तन पर रखी जा रही धनराशि में कर लिया जायेगा। इन मदों में पूर्व वर्षों में प्रदान की गयी धनराशि का पूर्ण व्यय विवरण/औचित्य भी अनिवार्य रूप से प्राप्त कर लिया जायेगा।

(7) निवर्तन पर रखी जा रही धनराशि का व्यय सुनिश्चित करने के पूर्व महालेखाकार एवं आन्तरिक लेखा परीक्षा के रिपोर्टों/प्रतिवेदनों/आपत्तियों को अनिवार्य रूप से दृष्टिगत रखते हुए उनका समाधान करने के पश्चात ही नियमानुसार व्यय सुनिश्चित किया जायेगा ।

3- प्रस्तर-2 में निवर्तन पर रखी जा रही धनराशि चालू वित्तीय वर्ष 2019-20 के अनुदान संख्या-44 के लेखानुदान में व्यवस्थित धनराशि के अन्तर्गत उक्त प्रस्तर-2 में अंकित तालिका के स्तम्भ-1 में उल्लिखित संगत लेखाशीर्ष/मानक मद के नामे डाला जायेगा।

1- यह शासनादेश इलेक्ट्रानिकली जारी किया गया है, अत: इस पर हस्ताक्षर की आवश्यकता नहीं है ।

2- इस शासनादेश की प्रमाणिकता वेब साइट http://shasanadesh.up.nic.in से सत्यापित की जा सकती है ।

http://shasanadesh.up.nic.in

4- प्रस्तर-2 में निवर्तन पर रखे जाने की स्वीकृति वित्त (आय-व्ययक) अनुभाग-1 के कार्यालय-ज्ञाप संख्या-1/2019/बी-1-170/दस-2019-231/2019, दिनांक 22 मार्च, 2019 के द्वारा प्रशासकीय विभाग को प्रतिनिधानित अधिकारों के अधीन निर्गत किये जा रहे हैं।

भवदीय

(ए0पी0 सिंह)
संयुक्त सचिव।

संख्या-143/2019/1293(1)/41-2019-94 (बजट) /2018 दिनांक 10 अप्रैल, 2019

प्रतिलिपि निम्नलिखित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित:

1- प्रधान महालेखाकार (लेखा एवं हकदारी) प्रथम/द्वितीय, उ0प्र0, इलाहाबाद।
2- महालेखाकार (लेखा परीक्षा) प्रथम/द्वितीय, उ0प्र0, इलाहाबाद।
3- उपाध्यक्ष, ब्रज तीर्थ विकास परिषद्, उ0प्र0, मथुरा।
4- मुख्य कार्यपालक अधिकारी, ब्रज तीर्थ विकास परिषद्, उ0प्र0, मथुरा।
5- संयुक्त निदेशक, पर्यटन निदेशालय, लखनऊ।
6- वित्त नियंत्रक, पर्यटन निदेशालय, लखनऊ।
7- मुख्य कोषाधिकारी, जवाहर भवन, लखनऊ।
8- प्रधानाचार्य अलीगढ़ फूड क्राफ्ट इंस्टीट्यूट, अलीगढ़ उ0प्र0।
9- वित्त (व्यय-नियंत्रण)अनुभाग-7
10- वित्त (आय-व्ययक)अनुभाग-1/2
11- वेब अधिकारी, पर्यटन विभाग
12- गार्ड-फाइल।

आज्ञा से,

(ए0पी0 सिंह)
संयुक्त सचिव।

http://shasanadesh.up.nic.in

1- यह शासनादेश इलेक्ट्रानिकली जारी किया गया है, अत: इस पर हस्ताक्षर की आवश्यकता नहीं है ।
2- इस शासनादेश की प्रमाणिकता वेब साइट http://shasanadesh.up.nic.in से सत्यापित की जा सकती है ।